न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –127 / 2017
दायर दिनांक –20 / 07 / 2017
निर्णय दिनांक – 28 / 05 / 2018

अनवान

1. किशनलाल पिता जीतमल जाट निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
2. प्रकाशचन्द पिता जीतमल जाट निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
3. प्यारी बेवा जीतमल जाट निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बंशीलाल पिता भूरा नाई निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
2. लक्ष्मी देवी पत्नि हमराज खटीक निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
3. शंकरलाल पिता रामदयाल महाजन निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
4. दिनेशचन्द्र पिता रामदयाल महाजन निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
5. अनिल कुमार पिता रामदयाल महाजन निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
6. लादी बाई पिता रामदयाल महाजन निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
7. रतन बाई पिता रामदयाल महाजन निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
8. कमला बाई पिता रामदयाल महाजन निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
9. मांगीबाई पत्नि लच्छीराम बलाई निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
10. सोनी बेवा छोगालाल बलाई निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
11. अणछी बेवा छोगालाल बलाई निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
12. पुरण पिता छोगलाल बलाई निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
13. घनश्याम पिता छोगालाल बलाई निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
14. देवीलाल पिता छोगालाल बलाई निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
15. कन्हैयालाल पिता छोगालाल बलाई निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
16. बद्रीलाल पिता मोहनलाल बलाई निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
17. रूकमणी पिता मोहनलाल बलाई निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
18. डालचन्द पिता मोहनलाल बलाई निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
19. रमेशचन्द्र पिता मोहनलाल बलाई निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
20. रामचन्द्र पिता प्रताप बलाई निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
21. लेहरू पिता शंकर सालवी निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
22. उदयलाल पिता सुरतराम महाजन निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना प अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम तहसील रेलमगरा जिला राजमंसद की सीमा में प्रार्थीगण के स्वामित्व एंव आधिपत्य की आराजी संख्या 1168 रकबा 03–04 बीघा जमीन स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपी साथ सलंग्न है। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी संख्या 1168 के पश्चिम दिशा में विपक्षी की आराजी संख्या 1156 की दक्षिणी पाली व 1157 की उत्तरी पाली, 1164 की उत्तरी पाली व 1165 की दक्षिणी पाली से होकर व 1162 व 1163 की उत्तरी पाली से होकर उक्त आराजीं संख्या 1168 की पश्चिमी उत्तरी कोने पर आता है प्रमाण में नकल जमांबदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपी साथ सलंग्न है। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 1168 में आने जाने हल बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने एंव काश्त करने हेतू आराजी संख्या 1156, 1157, 1164, 1165, 1162, 1163 के बीच पाली के सहारे सहारे अपनी आराजी संख्या 1168 में प्रवेश करने हेतू प्रार्थीगण को आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग कर हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि काश्त करने हेतू साधन सुविधा वर्षो से लाते ले जाते है। जो अपने पूर्वजो के समय से ही उक्त कदिमी रास्ते का उपयोग उपभोग निरन्तर निर्वघ्न रूप से साधिकार पूर्वक करता चला आ रहा है। लेकिन उक्त आराजीयात विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होने से एवं रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही होने के कारण विपक्षीगण प्रार्थीगण को रास्ते के लिए परेशान करते है। आराजी संख्या 1156, 1157, 1164, 1165, 1162, 1163 वर्तमान मे विपक्षीगण के नाम पर होने से विपक्षीगण जबरन अपने भूजबल के आधार पर प्रार्थीगण की उक्त कदिमी रास्ते का उपयोग उपभोग मे व्यवधान बाधा रूकावट, कारित करते है तथा प्रार्थीगण को जबरन अपनी आराजी संख्या 1168 के उपयोग उपभोग मे कृषि कार्य करने में रास्ते मे आने जाने हेतू रूकावट बाधा कारित करते है तथा उक्त कदिमी रास्ते को बंद कर देते है तथा कहते है कि उक्त आराजीयात हमारे नाम पर है जिस कारण हम आपको उक्त रास्ते से नही आने जाने देंगे। जबकि प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी संख्या 1168 मे आने हेतू उक्त कदिमी रास्ते के अलाव अन्य कोई वैकल्पिक एवं रेकार्डेड रास्ता मौके पर विघमान नही है तथा उक्त रास्ते की प्रार्थीगण का सख्त आवश्यकता है तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात मे आने जाने हेतू उक्त रास्ता अपने निवास स्थान से निकटतम है एवं अन्य कोई वैकल्पिक अथवा रेकार्डेड रास्ता

२।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

प्रार्थीगण के लिए अपनी आराजी मे आने जाने हेतू नही है जिस कारण प्रार्थीगण को विपक्षीगण आये दिन रास्ते को लेकर परेशान करते है जिस कारण प्रार्थीगण को मजबूर होकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी संख्या 1168 में आने जाने हल, बैल, बेलगाडी , ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतू भूमि के काश्त करने इत्यादि हेतू आराजी संख्या 1156 की दक्षिणी पाली, 1157 की उत्तरी पाली, 1164 की उत्तरी पाली, 1165 की दक्षिणी पाली , 1162, 1163 की उत्तरी पाली व पर 12 फीट चौडा एवं सम्पूर्ण लम्बाई प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1168 की पश्चिमी पाली के उत्तरी कोने तक के प्रारम्भ तक के रास्ते की सख्त आवश्यकता है जिस निमित्त प्रार्थीगण की और से उक्त प्रार्थनप पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आवश्यकता अत्यन्त है तथा उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण अपने खेत के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहे है । न्यायालय द्वारा 12 फीट चौडाई एवं सम्पूर्ण लम्बाई के रास्ते की भूमि जो रास्ते के उपयोग मे आयेगी उक्त भूमि का नियमानुसार प्रतिकर न्यायालय आप द्वारा विहित किया जायेगा उसको प्रार्थीगण तुरन्त अदा करने को तैयार एवं तत्पर है।उक्त कदिमी रास्ते का प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित किया गया है उसे राजस्व रेकार्ड एवं नक्शाट्रेस में रास्ता के रूप में इन्द्राज कराया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है जिस निमित्त प्रार्थीगण की और से यह प्रार्थना पत्र पेश है। विपक्षीगण प्रार्थीगण को लगातार रास्ते मे बाधा कारित कर रहे है तथा आज से एक माह पूर्व प्रार्थीगण उक्त रास्ते से अपनी आराजी मे ट्रेक्टर लेकर हांकने के लिए जाने लगा तो विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को बाड लगाकर बंद कर देने से प्रार्थना पत्र का हेतूक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। खातेदार छोगालाल पिता मोहनलाल बलाई का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसो का अन्तकाल फैसल नही हुआ है इसलिऐ छोगालाल के वारिसो को पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को रास्ता अपनी आराजीं संख्या 1168 में जाने हल, बैल, बेलगाडी , ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिए आराजी संख्या 1156 की दक्षिणी पाली, 1157 की उत्तरी पाली, 1164 की उत्तरी पाली, 1165 की दक्षिणी पाली , 1162,1163 की उत्तरी पाली व पर 12 फीट चौडा एवं सम्पूर्ण लम्बाई प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1168 की पश्चिमी पाली के उत्तरी कोने तक विपक्षीगण से मिलाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। उक्त रास्ते के एवज में न्यायालय आप द्वारा जो भी प्रतिकर नियमानुसार निश्चित किया जाता

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

है जो प्रार्थीगण अदा करने का तैयार है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर अदा करने के पश्चात उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड एंव नक्शाट्रेस में भी इन्द्राज कराया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली तलबी में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत कोटडी पर आयोजित शिविर में प्रकरण को रखा गया। दौराने शिविर प्रकरण में तहसीलदार रेलमगरा से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 154 बिलानाम गै0का0का0 रास्ता से आराजी संख्या 1156 की दक्षिणी मेड पर 21X2 गट्ठा = 42 गट्ठा अर्थात 84 मीटर, आराजी संख्या 1165 की दक्षिणी मेड पर 35X2 गट्ठा = 70 गट्ठा अर्थात 140 मीटर, आराजी संख्या 1163 की उत्तरी मेड पर 4X2 गट्ठा = 08 गट्ठा अर्थात 16 मीटर, आराजी संख्या 1162 की उत्तरी मेड पर 12X2 गट्ठा = 24 गट्ठा अर्थात 48 मीटर रास्ता हेतु भूमि की आवश्कता है अर्थात् 04 मीटर चौडा रास्ता प्रस्तावित किया जाकर नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। कमशः 00–02–02, 00–03–10, 00–00–08, 00–01–04, योग 07 बिश्वा 04 बिश्वांशी है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम रास्ते को जोडते हुए सबसे छोटा रास्ता है। प्रस्तावित रास्तें से किसी प्रकार से पेड, कुऑ अथवा पक्का निर्माण प्रभावित नही होता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधा के लिए न होकर नितान्त आवश्यक है। आराजी संख्या 1168 पर आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है।

प्रकरण में तहसीलदार रेलमगरा द्वार प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रकरण में प्रार्थी की भूमि पर जाने हेतु चाहा गया रास्ता आवश्यक होकर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट से सम्पूर्ण मौका स्थिति स्पष्ट होने से प्रकरण को लम्बित रखना न्याय संगत प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडी स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1168 में

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादी हल, बैल, बेलगाडी , ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिए तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट मय सलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार आराजी संख्या 154 बिलानाम गै0का0का0 रास्ता से आराजी संख्या 1156 की दक्षिणी मेड पर 21X2 गट्ठा = 42 गट्ठा अर्थात 84 मीटर, आराजी संख्या 1165 की दक्षिणी मेड पर 35X2 गट्ठा = 70 गट्ठा अर्थात 140 मीटर, आराजी संख्या 1163 की उत्तरी मेड पर 4X2 गट्ठा = 08 गट्ठा अर्थात 16 मीटर, आराजी संख्या 1162 की उत्तरी मेड पर 12X2 गट्ठा = 24 गट्ठा अर्थात 48 मीटर रास्ता हेतु भूमि की आवश्कता होने अर्थात् 04 मीटर चौडा रास्ता प्रस्तावित किया जाकर नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। क्रमशः 00–02–02, 00–03–10, 00–00–08, 00–01–04, योग 07 बिश्वा 04 को तहसीलदार रेलमग़रा द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में दर्शाये गये अनुसार बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा वादीगण उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि के एवज में वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि प्रतिवादी को अदा करावें तहसीलदार नियमानुसार राशि वादी से वसूल कर विपक्षीगण को अदा कराने की कार्यवाही करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोटडी पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा